To Give Compensation to Farmers

***86 Sh. SURENDER PANWAR (Sonipat)**:

Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state:-

a) whether the Agriculture Department or the Department who have executed the development work will compensate the farmers, if the farmer's crops have been damaged due to such development work togetherwith the action likely to be taken on the Department by the Government, if the farmers are not compensated timely;

b) whether there is any provision under consideration of the Government to give the compensation of more than 50 acreages of crop damaged due to drain number 6 in village Jatwara; and

c) if so, the details thereof and if not, the reasons thereof?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister, Haryana

a) Yes Sir, Municipal Corporation, Sonepat, will get it verified on the field to assess the damage.

b) Yes Sir, there is a provision to pay compensation under Section 372 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and as per norms prescribed by Department of Revenue and Disaster Management, Government of Haryana, vide memo no. 687–ER–II–2022/2808, dated 24th May, 2022.

c) As mentioned at (a) and (b) above.

किसानों को मुआवजा देना

***86 श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत):**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या कृषि विभाग या विकास कार्यों को निष्पादित करवाने वाला विभाग किसानों को मुआवजा देगा, यदि इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त/खराब हो गई है तथा यदि किसानों को समय पर मुआवजा नहीं दिया गया तो सरकार द्वारा विभाग पर क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

(ख) क्या गांव जटवाडा में ड्रेन नं.6 के कारण 50 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

डा0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

(क) हाँ, श्रीमान जी, नगर निगम, सोनीपत क्षति का आकलन करने के लिए मौके पर जाकर इसका सत्यापन करवाएगा।

(ख) हाँ, श्रीमान जी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 372 के तहत तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 687–ईआर–II–2022/2808 दिनांक 24.05.2022 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है।

(ग) जैसा कि उक्त वर्णित (क) तथा (ख) में ।